ऑन लाईन नं. **RCMS 2021/301**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 04/2021

राज्य सरकार जरिये श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री नंदराम , संचालका मैसर्स वीर तेजाजी ऑटो पार्टस, निवासी वार्ड नम्बर 04, पदमपुर (शहर) जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा कुल 480 लीटर डीजल, 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम , 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम , तीन दस लीटर, दो पांच लीटर, एक दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप'' को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री अमनदीप सिंह

निर्णय दिनांक : 12.07..2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि:–

1. यह कि दिनांक 09.11.2021 को समय 02.02 बजे श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर हमराह 1. श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय व 2. श्री ईकबाल सिंह वाहन चालक, हाजा व 3. श्री अनिल कालड़ा, कनिष्ठ लिपिक, केवीएसएस, पदमपुर के साथ मैसर्स वीर तेजाजी ऑटो पार्टस (विश्वकर्मा मार्केट) वार्ड/ग्राम पंचायत पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर डीजल के साथ बेस ऑयल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थ को मिलावट करने की वीर तेजाजी ऑटो पार्टस विक्रेता मोबिल ग्रीस व स्पेयर पार्टस नजदीक भगत सिंह चौंक पदमपुर की सूचना प्राप्त होने पर वास्ते आगामी जांच कार्यवाही व निरीक्षण हेतु पहुंचे। वरवक्त मौका उपस्थित व्यक्ति श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्रीनंदराम ,संचालक (आधार नम्बर 516430214901) निवासी वार्ड नम्बर 04 पदमपुर (शहर) जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं व अन्य की उपस्थिति में निरीक्षण करवाया।
2. यह कि वरवक्त मौके पर मैसर्स वीर तेजाजी ऑटो पार्टस के दुकान परिसर का निरीक्षण किया तो पाया कि उक्त दुकान के परिसर से तलाशी में कुल 480 लीटर डीजल, 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम , 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम , तीन दस लीटर, दो पांच लीटर, एक दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप व एक हस्तलिखित कॉपी जिसमें डीजल का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

हिसाब–किताब लिखा हुआ था बरामद की गई। तलाशी के दौरान तीनों ड्रमों पर मार्क 'ए''बी''सी' लिखा गया कि मौके पर उक्त दुकान के परिसर पर श्री गोविन्द पुत्र श्री नंदराम ने पूछने पर बताया कि वह प्लास्टिक के ड्रमो में डीजल पंजाब से बिल पर खरीद कर लाया हूँ। मौके पर सबके सामने मापने पर मार्क ए में 230 लीटर डीजल, मार्क बी में 230 लीटर डीजल व मार्क सी में 20 लीटर इस प्रकार कुल 480 लीटर डीजल पाया गया।

3. यह कि मौके पर तीनो ड्रमों में से एक प्लास्टिक की बाल्टी में तीन तीन लीटर डीजल की मात्रा को निकाला गया उसको लकड़ी की छड़ से घोला व हिलाया कुल नौ लीटर अच्छी तरह मिश्रित घोल में से 750 एमएल के तीन सैम्पल कांच की साफ/धुली हुई बोतलों में लिये गये। तीनो सैम्पल को मार्क ए1(जोधपुर एफएलएल हेतु) , ए2 (श्री गोविन्द हेतु) व ए3 (कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु) किया व फर्द सैम्पल पर उपस्थित सभी के हस्ताक्षर भी करवाये गये, मौके पर ही कांच की बोतलों को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया गया।

4. यह कि मौके पर श्री गोविन्द से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि वह पंजाब राज्य से डीजल सस्ता होने के कारण खरीद कर लाया है। मौके पर श्री गोविन्द से सुभिन्न प्रकार के लोहे के माप, कीप, बिजली चलित मोटर व हस्तचलित पंप इतनी अधिक मात्रा में दुकान परिसर में पड़े होने का कारण पूछने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। मौके पर डीजल के सम्बन्ध में कोई वैद्य दस्तावेज/परमिट/लाईसैंस मांगने पर श्री गोविन्द को पर्याप्त समय दिया गया तो भी प्रस्तुत नही किया गया। मौके पर लोहे के ओरेंज ड्रमो में पाये गये अवैध संदिग्ध तरल पदार्थ के बारे में पूछने पर श्री राजेन्द्र पुत्र मदनलाल मालिक खीची टायर विश्वकर्मा मार्केट पदमपुर शहर द्वारा एक बिल प्रस्तुत कर बताया गया कि लोहे के ड्रम में मोबिल ऑयल है जिसका मालिक वह स्वय है। दो लोहे के ड्रमों में मोबिल ऑयल मापने पर 210 लीटर प्रति ड्रम पाया गया व उक्त मोबिल ऑयल का इन्वायस निखिल एंटरप्राईजेज 1075 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर द्वारा बिल नम्बर 472,473 द्वारा जारी है, जो मूल ही फर्द मौका के साथ लिया गया व शेष दोनो लोहे के ड्रम खाली है। मौके पर श्री गोविन्द द्वारा मैसर्स शेरगढ फिलिंग स्टेशन, एचपीसीएल, बरयान खेडा रोड विपेज शेरगढ (पंजाब) का बिल नम्बर 11307 व 11308 दिनांक 07.11.2021 जारी है पेश किया।

5. यह कि श्री गोविन्द सिंह पुत्र नंदराम , संचालक (आधार नम्बर 516430214901) निवासी वार्ड नम्बर 04 पदमपुर (शहर) जिला श्रीगंगानगर से बरामद कुल 480 लीटर डीजल , 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम, 420 लीटर मोबिल ऑयल 4 लोहे के ड्रम, तीन दस लीटर , दो पांच लीटर, व दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप को श्री अनिल कालड़ा , कनिष्ठ लिपिक, पदमपुर केवीएसएस, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में जरिये सुपुर्दगीनामा तैयार/हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार दिया गया।

उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि गोविन्द सिंह पुत्र नंदराम निवासी वार्ड नम्बर 04 पदमपुर (शहर) जिला श्रीगंगानगर द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सेक्शन 3 के तहत जारी 1 मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू) (आर), 3(4)(6), 4 व स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के क्लॉज–3 ''स्नेहक तेलों और ग्रीज के प्रसंस्करण और भण्डारण पर निर्बन्धन'' का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिये जब्तशुदा '' ''कुल 480 लीटर डीजल , 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम, 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम, तीन दस लीटर , दो पांच लीटर, व दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप'' को राजसात करने के आदेश फरमावें व चूंकि '' 480 लीटर डीजल व 420 लीटर मोबिल ऑयल'' पेट्रोलियम श्रेणी/शीघ्रतया/प्रकृत्या क्षयशील द्रव्य होने के कारण अधिक समय तक रखने पर इसमें छीजत की संभावना है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री के अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने का भी श्रम करें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दिनांक 28.09.2022 को जवाब नोटिस पेश किया। जवाब नोटिस के साथ अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के शपथ पत्र पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि :–

1. यह कि दिनांक 15.12.2021 को जारी नोटिस संख्या 21/2664 शिकायतकर्ता द्वारा गलत तथ्यों, आधारहीन व झूठे तथ्यों पर शिकायत की गई होने से खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि प्रार्थी गोविन्द सिंह पुत्र नन्द राम पदमपुर मण्डी ने अपने द्वारा संचालित ट्रकों का मालिक है और इन ट्रकों में माल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तान्तरित करता है। प्रार्थी के उक्त ट्रकों के नम्बर रजिस्ट्रेशन नम्बर आर. जे. 21 जीबी 6244 व चेसिस नम्बर MAT54100613K20776, Engine No- 51K63472516 तथा रजिस्ट्रेशन दिनांक 15.02.2016 है उक्त ट्रक 2015 मॉडल है तथा प्रार्थी का दूसरा ट्रक आरजे 31 जीबी 0044, चेसिस नम्बर MAT447234113G07484 , Engine No- 71063585650 तथा रजिस्ट्रेशन दिनांक 31. 03.2017 है और प्रार्थी के इन ट्रको के डीजल की टंकी 250 लीटर से 350 लीटर तक की है। प्रार्थी आवश्यकता पड़ने पर अपनी उक्त दुकान में इन ट्रकों में डीजल भरने के लिए अपनी उक्त दुकान पर ड्रमों में डीजल रख लेता है तथा उसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लेता है। यहां यह भी वर्णित करना आवश्यक है कि श्रीगंगानगर की सीमा पंजाब की सीमा के साथ मिलती है और पदमपुर से उक्त पंजाब की दूरी केवल 70 किमी है और उक्त पंजाब की सीमा में पैट्रोल और डीजल के रेट का काफी अन्तर है अर्थात श्रीगंगानगर में पैट्रोल और डीजल पंजाब से करीब 15–16 रूपये लीटर मंहगा है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति उक्त पैट्रोल व डीजल की आपूर्ति पंजाब से जो श्रीगंगानगर बार्डर से 5 किमी की दूरी पर है से करता है। कई बार प्रार्थी को डीजल की अति आवश्यकता होती है और रात के समय व कोरोनाकाल के समय पैट्रोल पम्प बंद होने की वजह से प्रार्थी की उक्त आवश्यकता इस डीजल से हो पाती है।
3. यह कि प्रार्थी के पास उक्त ट्रको के अतिरिक्त कृषि भूमि भी है जिसे प्रार्थी ठेका पर लेकर काश्त करता है और इस कृषि भूमि में डीजल का उपयोग

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

किया जाता है। प्रार्थी ने चक 15 ईईए में मुरब्बा नम्बर 49 में 12 बीघा भूमि सीता देवी पत्नी मदन लाल से ठेका पर ले रखी है तथा चक 15 ईईए में मुरब्बा नम्बर 50 में भी प्रार्थी ने 13 बीघा जमीन ठेका पर ली हुई है जिसकी काश्त भी प्रार्थी स्वयं व अपने अधीन कार्य करने वालें मजदूरों से करवाता है। प्रार्थी ने चक 7 ईईए के मुरब्बा नम्बर 30 में भी 15 बीघा भूमि ठेका पर ली हुई है जिसे भी प्रार्थी काश्त करता है। इस भूमि में प्रार्थी ने गेहू , सरसों आदि की फसल काश्त कर रखी है और प्रार्थी उक्त कृषि भूमि को करीब 5 वर्ष से काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि को काश्त करने के लिए प्रार्थी को डीजल की आवश्यकता पडती है और यह डीजल प्रार्थी जनरेटर में ट्रैक्टर में उपयोग में लेता है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि की काश्त करने के लिए एक सोनालिका ट्रैक्टर भी किराये पर ले रखा है जो 2014 मॉडल है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 13/6055 है उक्त ट्रैक्टर प्रार्थी ने राजेन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी 1 आर.बी. से ले रखा है इसमें डलने वाला डीजल का इंतजाम भी प्रार्थी द्वारा किया जाता है। प्रार्थी के पास एक अन्य ट्रैक्टर 1982 मॉडल 4511 BB X 2815 भी है जिसे भी प्रार्थी ठेका पर लेकर उक्त कृषि भूमि को काश्त करता है और यह ट्रैक्टर दर्शन सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी 1 आर.बी. से ठेका पर लिया गया है और इसमें उपयोग होने वाला डीजल का भी प्रार्थी द्वारा इंतजाम किया जाता है।

4. यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में रंग रोगन होने के कारण उक्त दुकान का सामान साथ वाली दुकान 12.6 गुणा 21 फुट जो मदन लाल की है में बेसऑयल रखा गया था और यह बेसऑयल खिची टायर द्वारा खरीद किया गया था और यह ऑयल निखिल एन्टरप्राईजेज से खरीद किया गया है जिसका बिल भी मौका पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इन समस्त तथ्यों से सम्बन्धित दस्तावेजात की फोटो कॉपी सलंग्न जवाब प्रार्थना पत्र है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थी को केवल झूठा फंसाने के लिए झूठी शिकायत की गई है तथा इन समस्त तथ्यों का अवलोकन करने यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल का बेसऑयल अपने स्वयं के ट्रकों के लिए व कृषि भूमि की काश्त के लिए उपयोग व उपभोग के लिए लाया गया है। प्रार्थी द्वारा इसका कोई व्यापारिक उपयोग , उपभोग नहीं किया जा रहा है। उक्त डीजल बेसऑयल की उपयोग में लेने के लिए ही अन्य जो मापतोल का सामान बरामदगी में दिखाया गया है वह स्वयं के उपयोग के लिए ही लिया जाना साबित है। ऐसी सूरत में प्रार्थी के विरूद्व धारा 6ए आवश्यक वस्तु बगना अधिनियम का कोई प्रकरण बनना साबित नहीं होता। प्रार्थना पत्र धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व की गई धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रार्थी का जब्त किया गया डीजल, बेसऑयल व अन्य सामान वापस प्रदान किया जावें या डीजल व बेसऑयल का आज का मूल्य व उक्त सामान जो सुपुदर्गीनामा के पास है प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गोविन्द सिंह पुत्र नन्द राम पदमपुर मण्डी ने अपने द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

संचालित ट्रकों का मालिक है और इन ट्रकों में माल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तान्तरित करता है। प्रार्थी के उक्त ट्रकों के नम्बर रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 21 जीबी 6244 व चेसिस नम्बर MAT54100613K20776, Engine No- 51K63472516 तथा रजिस्ट्रेशन दिनांक 15.02.2016 है उक्त ट्रक 2015 मॉडल है तथा प्रार्थी का दूसरा ट्रक आरजे 31 जीबी 0044, चेसिस नम्बर MAT447234113G07484 , Engine No- 71063585650 तथा रजिस्ट्रेशन दिनांक 31. 03.2017 है और प्रार्थी के इन ट्रको के डीजल की टंकी 250 लीटर से 350 लीटर तक की है। प्रार्थी आवश्यकता पड़ने पर अपनी उक्त दुकान में इन ट्रकों में डीजल भरने के लिए अपनी उक्त दुकान पर ड्रमों में डीजल रख लेता है तथा उसे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लेता है। श्रीगंगानगर की सीमा पंजाब की सीमा के साथ मिलती है और पदमपुर से उक्त पंजाब की दूरी केवल 70 किमी है और उक्त पंजाब की सीमा में पैट्रोल और डीजल के रेट का काफी अन्तर है अर्थात श्रीगंगानगर में पैट्रोल और डीजल पंजाब से करीब 15–16 रूपये लीटर मंहगा है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति उक्त पैट्रोल व डीजल की आपूर्ति पंजाब से जो श्रीगंगानगर बार्डर से 5 किमी की दूरी पर है से करता है। प्रार्थी के पास उक्त ट्रको के अतिरिक्त कृषि भूमि भी है जिसे प्रार्थी ठेका पर लेकर काश्त करता है और इस कृषि भूमि में डीजल का उपयोग किया जाता है। प्रार्थी ने चक 15 ईईए में मुरब्बा नम्बर 49 में 12 बीघा भूमि सीता देवी पत्नी मदन लाल से ठेका पर ले रखी है तथा चक 15 ईईए में मुरब्बा नम्बर 50 में भी प्रार्थी ने 13 बीघा जमीन ठेका पर ली हुई है जिसकी काश्त भी प्रार्थी स्वयं व अपने अधीन कार्य करने वालें मजदूरों से करवाता है। प्रार्थी ने चक 7 ईईए के मुरब्बा नम्बर 30 में भी 15 बीघा भूमि ठेका पर ली हुई है जिसे भी प्रार्थी काश्त करता है। इस भूमि में प्रार्थी ने गेहूं , सरसों आदि की फसल काश्त कर रखी है और प्रार्थी उक्त कृषि भूमि को करीब 5 वर्ष से काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि को काश्त करने के लिए प्रार्थी को डीजल की आवश्यकता पड़ती है और यह डीजल प्रार्थी जनरेटर में ट्रैक्टर में उपयोग में लेता है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि की काश्त करने के लिए एक सोनालिका ट्रैक्टर भी किराये पर ले रखा है जो 2014 मॉडल है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 13/6055 है उक्त ट्रैक्टर प्रार्थी ने राजेन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी 1 आर.बी. से ले रखा है इसमें डलने वाला डीजल का इंतजाम भी प्रार्थी द्वारा किया जाता है। प्रार्थी के पास एक अन्य ट्रैक्टर 1982 मॉडल 4511 BB X 2815 भी है जिसे भी प्रार्थी ठेका पर लेकर उक्त कृषि भूमि को काश्त करता है और यह ट्रैक्टर दर्शन सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी 1 आर.बी. से ठेका पर लिया गया है और इसमें उपयोग होने वाला डीजल का भी प्रार्थी द्वारा इंतजाम किया जाता है।प्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में रंग रोगन होने के कारण उक्त दुकान का सामान साथ वाली दुकान 12.6 गुणा 21 फुट जो मदन लाल की है में बेसऑयल रखा गया था और यह बेसऑयल खिची टायर द्वारा खरीद किया गया था और यह ऑयल निखिल एन्टरप्राईजेज से खरीद किया गया है जिसका बिल भी मौका पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतःप्रार्थी के विरूद्व की गई धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रार्थी का जब्त किया गया डीजल, बेसऑयल व अन्य सामान वापस प्रदान किया जावें या डीजल व बेसऑयल का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

आज का मूल्य व उक्त सामान जो सुपुदर्गीनामा के पास है प्रार्थी को वापिस लौटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 09.11.2021 को समय 02.02 बजे मैसर्स वीर तेजाजी ऑटो पार्टस (विश्वकर्मा मार्केट) वार्ड/ग्राम पंचायत पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर डीजल के साथ बेस ऑयल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थ को मिलावट करने की सूचना प्राप्त होने पर वास्ते आगामी जांच कार्यवाही व निरीक्षण हेतु पहुंचे। वरवक्त मौका उपस्थित व्यक्ति श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्रीनंदराम ने स्वयं व अन्य की उपस्थिति में निरीक्षण करवाया। वरवक्त मौके पर मैसर्स वीर तेजाजी ऑटो पार्टस के दुकान परिसर का निरीक्षण किया तो पाया कि उक्त दुकान के परिसर से तलाशी में कुल 480 लीटर डीजल, 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम , 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम , तीन दस लीटर, दो पांच लीटर, एक दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप व एक हस्तलिखित कॉपी जिसमें डीजल का हिसाब–किताब लिखा हुआ था बरामद की गई। तलाशी के दौरान तीनों ड्रमों पर मार्क 'ए''बी''सी' लिखा गया कि मौके पर उक्त दुकान के परिसर पर श्री गोविन्द पुत्र श्री नंदराम ने पूछने पर बताया कि वह प्लास्टिक के ड्रमो में डीजल पंजाब से बिल पर खरीद कर लाया हूँ। मौके पर सबके सामने मापने पर मार्क ए में 230 लीटर डीजल, मार्के बी में 230 लीटर डीजल व मार्क सी में 20 लीटर इस प्रकार कुल 480 लीटर डीजल पाया गया। मौके पर तीनो ड्रमों में से एक प्लास्टिक की बाल्टी में तीन–तीन लीटर डीजल की मात्रा को निकाला गया उसको लकडी की छड़ से घोला व हिलाया कुल नौ लीटर अच्छी तरह मिश्रित घोल में से 750 एमएल के तीन सैम्पल कांच की साफ/धुली हुई बोतलों में लिये गये। तीनो सैम्पल को मार्क ए1(जोधपुर एफएलएल हेतु) , ए2 (श्री गोविन्द हेतु) व ए3 (कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु) किया व फर्द सैम्पल पर उपस्थित सभी के हस्ताक्षर भी करवाये गये, मौके पर ही कांच की बोतलों को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया गया। मौके पर श्री गोविन्द से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि वह पंजाब राज्य से डीजल सस्ता होने के कारण खरीद कर लाया है। मौके पर श्री गोविन्द से सुभिन्न प्रकार के लोहे के माप, कीप, बिजली चलित मोटर व हस्तचलित पंप इतनी अधिक मात्रा में दुकान परिसर में पड़े होने का कारण पूछने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। मौके पर डीजल के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज/परमिट/लाईसैंस मांगने पर श्री गोविन्द को प्रर्याप्त समय दिया गया तो भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर लोहे के ओरेंज ड्रमो में पाये गये अवैध संदिग्ध तरल पदार्थ के बारे में पूछने पर श्री राजेन्द्र पुत्र मदनलाल मालिक खीची टायर विश्वकर्मा मार्केट पदमपुर शहर द्वारा एक बिल प्रस्तुत कर बताया गया कि लोहे के ड्रम में मोबिल ऑयल है जिसका मालिक वह स्वयं है। दो लोहे के ड्रमों में मोबिल ऑयल मापने पर 210 लीटर प्रति ड्रम पाया गया व उक्त मोबिल ऑयल का इन्वायस निखिल एंटरप्राईजेज 1075 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर द्वारा बिल नम्बर 472,473 द्वारा जारी है, जो मूल ही फर्द मौका के साथ लिया गया व शेष दोनो लोहे के ड्रम खाली है। मौके पर श्री गोविन्द द्वारा मैसर्स शेरगढ फिलिंग स्टेशन, एचपीसीएल,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

वरयान खेड़ा रोड़ विपेज शेरगढ (पंजाब) का बिल नम्बर 11307 व 11308 दिनांक 07.11.2021 जारी है पेश किये। गोविन्द सिंह पुत्र नंदराम निवासी वार्ड नम्बर 04 पदमपुर (शहर) जिला श्रीगंगानगर द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू) (आर), 3(4)(6), 4 व स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के क्लॉज–3 ''स्नेहक तेलों और ग्रीज के प्रसंस्करण और भण्डारण पर निर्बन्धन'' का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः जब्तशुदा कुल 480 लीटर डीजल , 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम, 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम, तीन दस लीटर , दो पांच लीटर, क दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें।

मैने विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी गोविन्द सिंह के अधिवक्ता श्री अमनदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्को एवं लिखित जवाब पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य सलंग्न दस्तावेजो आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक दिनांक 09.11.2021 को समय 02.02 बजे मैसर्स वीर तेजाजी ऑटो पार्टस (विश्वकर्मा मार्केट) वार्ड/ग्राम पंचायत पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर डीजल के साथ बेस ऑयल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थ को मिलावट करने की सूचना प्राप्त होने पर वास्ते आगामी जांच कार्यवाही व निरीक्षण हेतु पहुंचे। वरवक्त मौका उपस्थित व्यक्ति श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्रीनंदराम ने स्वयं व अन्य की उपस्थिति में निरीक्षण करवाया। वरवक्त मौके पर मैसर्स वीर तेजाजी ऑटो पार्टस के दुकान परिसर का निरीक्षण किया तो पाया कि उक्त दुकान के परिसर से तलाशी में कुल 480 लीटर डीजल, 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम , 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम , तीन दस लीटर, दो पांच लीटर, एक दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप व एक हस्तलिखित कॉपी जिसमें डीजल का हिसाब–किताब लिखा हुआ था बरामद की गई। तलाशी के दौरान तीनों ड्रमों पर मार्क 'ए''बी''सी' लिखा गया कि मौके पर उक्त दुकान के परिसर पर श्री गोविन्द पुत्र श्री नंदराम ने पूछने पर बताया कि वह प्लास्टिक के ड्रमो में डीजल पंजाब से बिल पर खरीद कर लाया हूँ। मौके पर सबके सामने मापने पर मार्क ए में 230 लीटर डीजल, मार्के बी में 230 लीटर डीजल व मार्क सी में 20 लीटर इस प्रकार कुल 480 लीटर डीजल पाया गया। मौके पर तीनो ड्रमों में से एक प्लास्टिक की बाल्टी में तीन–तीन लीटर डीजल की मात्रा को निकाला गया उसको लकडी की छड से घोला व हिलाया कुल नौ लीटर अच्छी तरह मिश्रित घोल में से 750 एमएल के तीन सैम्पल कांच की साफ/धुली हुई बोतलों में लिये गये। तीनो सैम्पल को मार्क ए1(जोधपुर एफएलएल हेतु) , ए2 (श्री गोविन्द हेतु) व ए3 (कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु) किया व फर्द सैम्पल पर उपस्थित सभी के हस्ताक्षर भी करवाये गये, मौके पर ही कांच की बोतलों को धागे से बांध कर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सील चपड़ी किया गया। मौके पर श्री गोविन्द से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि वह पंजाब राज्य से डीजल सस्ता होने के कारण खरीद कर लाया है। मौके पर श्री गोविन्द से सुभिन्न प्रकार के लोहे के माप, कीप, बिजली चलित मोटर व हस्तचलित पंप इतनी अधिक मात्रा में दुकान परिसर में पड़े होने का कारण पूछने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। मौके पर डीजल के सम्बन्ध में कोई वैद्य दस्तावेज/परमिट/लाईसैंस मांगने पर श्री गोविन्द को प्रर्याप्त समय दिया गया तो भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर लोहे के ओरेंज ड्रमो में पाये गये अवैध संदिग्ध तरल पदार्थ के बारे में पूछने पर श्री राजेन्द्र पुत्र मदनलाल मालिक खीची टायर विश्वकर्मा मार्केट पदमपुर शहर द्वारा एक बिल प्रस्तुत कर बताया गया कि लोहे के ड्रम में मोबिल ऑयल है जिसका मालिक वह स्वयं है। दो लोहे के ड्रमों में मोबिल ऑयल मापने पर 210 लीटर प्रति ड्रम पाया गया व उक्त मोबिल ऑयल का इन्वायस निखिल एंटरप्राईजेज 1075 अग्रसेन नगर, श्रीगंगानगर द्वारा बिल नम्बर 472,473 द्वारा जारी है, जो मूल ही फर्द मौका के साथ लिया गया व शेष दोनो लोहे के ड्रम खाली है। मौके पर श्री गोविन्द द्वारा मैसर्स शेरगढ फिलिंग स्टेशन, एचपीसीएल, वरयान खेड़ा रोड़ विपेज शेरगढ (पंजाब) का बिल नम्बर 11307 व 11308 दिनांक 07.11.2021 जारी है पेश किये। गोविन्द सिंह पुत्र नंदराम निवासी वार्ड नम्बर 04 पदमपुर (शहर) जिला श्रीगंगानगर द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू) (आर), 3(4)(6), 4 व स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के क्लॉज–3 "स्नेहक तेलों और ग्रीज के प्रसंस्करण और भण्डारण पर निर्बन्धन" का स्पष्ट उल्लधन किया है। अतः जब्तशुदा कुल 480 लीटर डीजल , 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम, 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम, तीन दस लीटर , दो पांच लीटर, क दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम , नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नहीं की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लधन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र , अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है , वहा यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार , अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा। "

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी गोविन्द सिंह के अधिवक्ता ने अपने लिखित जवाब एवं मौखिक बहस में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में जब्त शुदा डीजल व मोबिल ऑयल उसके द्वारा अपने ट्रको एवं कृषि कार्य मे

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

चलाये जाने वाले ट्रैक्टर आदि में डालने के लिए पंजाब से क्रय किया गया है जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण व कब्जे में रखने का कोई वैध अनुज्ञापत्र पेश नहीं किया है जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी गोविन्द सिंह द्वारा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू) (आर), 3(4)(6), 4 व स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 के क्लॉज-3 ''स्नेहक तेलों और ग्रीज के प्रसंस्करण और भण्डारण पर निर्बन्धन'' का स्पष्ट उल्लघन किया है। अप्रार्थी श्री गोविन्द सिंह पुत्र नंदराम , संचालक (आधार नम्बर 516430214901) निवासी वार्ड नम्बर 04 पदमपुर (शहर) जिला श्रीगंगानगर से बरामद कुल 480 लीटर डीजल , 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम, 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम, तीन दस लीटर , दो पांच लीटर, क दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप को श्री अनिल कालड़ा , कनिष्ठ लिपिक, पदमपुर केवीएसएस, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में जरिये सुपुर्दगीनामा तैयार/हस्ताक्षर करवाकर नियमानुसार दिया गया।अतः जब्तशुदा कुल 480 लीटर डीजल , 9 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम, 420 लीटर मोबिल ऑयल, 4 लोहे के ड्रम, तीन दस लीटर , दो पांच लीटर, क दो लीटर लोहे के माप, दो लोहे की कीप, दो हस्तचलित लोहे के पंप, एक बिजली चलित उजाला मार्का मोटर, दो प्लास्टिक की पाईप को राजसात किया जाता है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्यवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्यवाही अलग-अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षकर्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग सक्षम है।

अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो वह अलग से जारी रखें।

चूंकि राजस्थान वैट अधिनियम 2003 एवं राजस्थान जी.एस.टी. अधिनियम 2017 के तहत कोई कार्रवाई हो तो उसे इस प्रकरण से अलग किया जाकर जारी रखा जावें। इस आदेश की प्रति अति. आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)